भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5300

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

नदी किनारे निर्माण संबंधी समिति

5300. सुश्री दिया कुमारी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नदियों के दोनों ओर कुछ दूरी तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर गंगा, यमुना और नर्मदा नदियों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहाड़ी क्षेत्रों के मैदानों के लिए उक्त दूरी अलग रखी गई है;

(घ) यदि हां, तो गंगा नदी के संबंध में तत्संबंधी राज्य-वार और क्षेत्र-वार (पहाड़ी/मैदानी) ब्यौरा क्या है;

(ङ) नदियों की सीमा निर्धारित करने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने गंगा, यमुना और नर्मदा नदियों की सीमा दोबारा निर्धारित की है/करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (छ) बाढ़ मैदान जोनिंग की अवधारणा नदियों के बाढ़ मैदान को इसके क्षेत्र के रूप में आवश्यक रूप से मान्यता देता है और इसमें किसी तरह की घुसपैठ अथवा इसमें विकासात्मक गतिविधियों को नदी के 'अधिकार का हनन' के रूप में अवश्य मान्यता देता है।

नदी का बाधारहित प्राकृतिक बहाव उपलब्ध कराने और बाढ़ से संभावित क्षति के उपशमन के लक्ष्य से विधान अधिनियम करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दिशा-निर्देश हेतु वर्ष 1975 में केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ मैदान जोनिंग विधान संबंधी एक मॉडल मसौदा विधेयक परिचालित किया गया था। यह मॉडल विधेयक, बाढ़ आवृत्तियों के अनुसार नदी के बाढ़ मैदान की जोनिंग की अभिकल्पना करता है और बाढ़ मैदान के उपयोग के प्रकार को परिभाषित करता है। यह बाढ़ जोनिंग प्राधिकरणों, बाढ़ मैदान क्षेत्र का सर्वेक्षण और संरेखण, बाढ़ मैदानों की सीमा सूचना, बाढ़ मैदानों के उपयोग का निषेध अथवा प्रतिबंध, क्षतिपूर्ति और बाधा हटाने हेतु अधिकार आदि का प्रावधान करता है।

यह मंत्रालय लगातार राज्य/संघ राज्य सरकारों को इस संबंध में कानून अधिनियमित करने पर जोर दे रहा है। जबकि मणिपुर, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों ने विधानों को अधिनियमित किया है, बाढ़ मैदान जोनिंग विधान के अधिनियमन के संबंध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाएं उत्साह जनक नहीं हैं।

जहां तक गंगा और इसकी सहायक नदियों का संबंध है, मंत्रालय ने अक्टूबर, 2016 के राजपत्र की अधिसूचना के माध्यम से यह विनिर्दिष्ट किया है कि गंगा नदी तट और इसके बाढ़ मैदान को निर्माण मुक्त जोन बनाया जाएगा, ताकि प्रदूषण स्रोतों, दबावों को घटाया जा सके और इसकी प्राकृतिक भूमि जल पुनर्भरण व्यवस्था का अनुरक्षण किया जा सके। अधिसचूना में आगे उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी संरचना, चाहे वह आवासीय अथवा व्यवसायिक अथवा औद्योगिक अथवा गंगा नदी, गंगा नदी अथवा इसकी वितरिका के तट अथवा गंगा नदी एवं इसकी वितरिका के सक्रिय बाढ़ मैदान क्षेत्र में किसी अन्य उद्देश्य के लिए, चाहे स्थायी अथवा अस्थायी हो, का निर्माण नहीं करेगा। नर्मदा नदी के लिए जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा प्रतिबंध लगाने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****